तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1808/2004/भरतपुर रामजीलाल बनाम धन्नीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 01.07.2022

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, वैर द्वारा वाद संख्या 73/1998 में पारित निर्णय दिनांक 16-04-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज करने के बजाय लौटाया जाना चाहिए था। दस्तावेज शून्य अथवा शून्यकरणीय है, दोनों में अन्तर होता है, जिस व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं है वह बैचान नहीं कर सकता है। क्षेत्राधिकार का प्रश्न हो तो यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दू है जिसमें साक्ष्य लेकर ही तय किया जाना चाहिए था। इसलिए आदेश अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार का तर्क है कि यदि दावा खारिज किया गया है तो उसकी अपील होगी। वाद संख्या 73/1998 को जरिये विड्राल खारिज किया गया है जिसकी निगरानी नहीं हो सकती और वाद संख्या 37/1999 का आदेश मानते है तो उसकी अपील होगी क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी का विनिश्चय किया है और तनकी का विनिश्चय के विरूद्ध अपील ही होती है। निगरानी पोषणीय नहीं होती है। इसलिए यह निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी धनीराम ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा घोषणा, बंटवारा और स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया और विवादित आराजी में अनुतोष के अनुसार अपना हिस्सा चाहा था। प्रतिवादी ने जवाब में उजरात लिये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1808/2004/भरतपुर रामजीलाल बनाम धन्नीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

और जिसके सम्बन्ध में तनकी संख्या 12 बनाई गयी कि–

''आया वादीगण का वाद जवाबदावे की मद संख्या–17 के अनुसार न्यायालय हाजा में उक्त वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है, मात्र सिविल कोर्ट में ही सुनवाई का अधिकार प्राप्त है''– वादीगण

इस तनकी पर विवेचन करते हुए आदेश दिनांक 16–4–2004 से वाद खारिज किया गया और यह उल्लेख किया कि वसीयत नामा इस न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। वसीयतनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की गयी है।

अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी का विनिश्चय किया गया और उसके विरूद्ध निगरानी नहीं हो सकती और मण्डल इस तर्क से सहमत है। आदेश 14 नियम 2(2) में यह व्यवस्था दी गयी है –

(2) जहां विधि विवाघक और तथ्य विवाघक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए है और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाघक के आधार पर किया जा सकता है वहां यदि वह विवाघक –

(क)न्यायालय की अधिकारिता, अथवा

(ख)तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन– से सम्बन्धित है तो वह पहले उस विवाघक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो, वह अन्य विवाघकों का निपटारा तब तक के मुल्तवी कर सकेगा जब तक कि उस विवाघक का अवधारण न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवाघक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा।

अर्थात् यदि किसी विधिक तनकी के आधार पर मामले का निपटारा हो सकता है तो न्यायालय पहले उस तनकी का निर्णय करेगा और मौजूदा प्रकरण में तनकी क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित थी इसलिए सर्वप्रथम इस तनकी का विनिश्चय किया गया है और न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं माना है। जहां विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है तो उस आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है और विचारण न्यायालय के चुनौतीग्रस्त आदेश में कोई अनियमितता या कोई अवैधता है अथवा नहीं, यह बिन्दू अपील में उठाया जा सकता है और अपील न्यायालय उसका विनिश्चय कर सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया गया आदेश अपील योग्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1808/2004/भरतपुर रामजीलाल बनाम धन्नीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश होने से निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य**	